<u>न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), एफ 0 टी0 सी0 (महिलाओं के विरूद्ध अपराध), सहारनपुर।</u>

CNR-NO-UPSP040505562026

उदित तौमर **<u>बनाम</u>** **<u>श्रीमती खुशी आदि।</u>**

वाद सं0-191/2026

अंतर्गत धारा-173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
थाना-महिला थाना, जिला सहारनपुर।

<u>13-08-2026</u>

1. पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

2. प्रार्थी उदित तौमर की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में विपक्षीगण श्रीमती खुशी के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

4. संक्षेप में प्रार्थी का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी की शादी दिनांक 26-01-2023 मे हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विपक्षीया खुशी उपरोक्त के साथ ग्राम खदरी उपरोक्त मे साधारण तरीके से बिना किसी दान-दहेज के सम्पन्न हुई थी। प्रार्थी व प्रार्थी के घरवालो ने शादी से पूर्व ही शादी मे दान-दहेज लेने से स्पष्ट मना कर दिया था लेकिन विपक्षीया खुशी के घरवालो ने शादी मे कार देने की बात कही थी जिस पर प्रार्थी ने यह कहते हुए कि हमारे यहां कार है, विरोध किया था। यह बात विपक्षीया खुशी के माता-पिता व अन्य घरवालो को नागवार गुजरी थी फिर भी विपक्षीया खुशी के माता-पिता ने स्वेच्छा से प्रार्थी की सहमति के बिना भिन्न-भिन्न मौको पर 9,50,000/- रूपये नकद दिये थे। प्रार्थी की शादी से पूर्व सभी देख-दिखावा हुआ था और सभी बाते तय हुई थी। रिश्ता तैय होने से पूर्व खुशी के मौसा राजबीर व पिता अरविन्द व भाई विशाल व मामा प्रवीण निवासी ग्राम थरौली जिला सहारनपुर आये थे जिन्होंने सन्तुष्टि के पश्चात प्रार्थी व प्रार्थी के घरवालो को विपक्षीया खुशी के मामा प्रवीण के यहां देख-दिखावे के लिए बुलाया था। जिस पर प्रार्थी की माता व बहन ने विपक्षीया खुशी को बतौर शगुन रूपये व मिठाई आदि दी थी। उसके पश्चात 09-06-2022 में छछरौली जिला यमुनानगर हरियाणा में रिंग सेरेमनी हुई थी रिंग सेरेमनी के अवसर पर प्रार्थी ने खुशी को सोने की अंगूठी व प्रार्थी की माता ने खुशी को बतौर शगुन 51000/- रूपये नकद, फल, मिठाई, ड्राईफ्रूट, कीमती कपडे, चांदी की पॉजेब व अन्य सामान दिया था और खुशी के माता-पिता ने भी प्रार्थी को सोने की अंगूठी व मिठाई आदि दी थी। इस बीच 09-06-2022 से शादी की तिथि तक प्रार्थी व खुशी के बीच मोबाईल के माध्यम से बाते होती रही। शादी के समय भी प्रार्थी की माता ने खुशी को सोने के दो गले के सेट, दो कंगन व दो अंगूठी, दो अंगूठी व दो कंगन मंगलसूत्र व चांदी की दो जोडी चुकटी, दो जोडी पॉजेब, चांदी का छल्ला, बरी का सामान व लंहगे हेतू 25000/-रूपये नकद व कीमती कपडे साडी आदि दिये थे। खुशी के माता-पिता ने भी प्रार्थी को सोने का कडा, एक स्मार्ट घडी व कपडे आदि दिये थे। उपरोक्त समस्त जेवरात जो प्रार्थी व प्रार्थी के घरवालो ने व खुशी के घरवालो ने दिये थे वह सभी खुशी के कब्जे मे है। प्रार्थी ने बाद विदायगी खुशी को अपने घर पर रखते हुए सभी सुख-सुविधाए मुहैया करायी और शादी के एक माह पश्चात खुशी की मम्मी, पापा, भतीजा, भतीजी व दो बुवाओ व उनके बच्चो की मौजूदगी मे बडे हर्षोउल्लास से एनीवर्सरी मनायी। उसके पश्चात हंसी-खुशी विपक्षीया खुशी उपरोक्त अपने मम्मी-पापा के साथ अपने मायके चली गयी और उसके पश्चात अपने मायके आती-जाती रही। गर्भावस्था के दौरान प्रार्थी ने विपक्षीया खुशी की हर इच्छा का ख्याल रखा और खुशी के कहेर्नूसार शहर सहारनपुर में अच्छी महिला डाक्टरों के यहां और एस०पी० अस्पताल जगाधरी मे लगातार ईलाज कराया। उसके पश्चात लगातार डिलीवरी तक डा० विनिता मल्होत्रा के यहां ईलाज कराया और दौरान गर्भावस्था खुशी को कोई दिक्कत न हो झाडू पोचा इत्यादि हेतू नौकरानी की व्यवस्था की। दौरान ड्यूटी विपक्षीया खुशी प्रार्थी को तंग परेशान करती थी। विपक्षीया खुशी घुमकड प्रवृति की होने के कारण बाहर व रिश्तेदारियो में ले जाने व घुमाने का प्रार्थी पर दबाव बनाती थी। विपक्षीया खुशी की हरकतो की वजह से ही प्रार्थी की माह अक्तूबर सन् 2023 में नौकरी भी छुट गयी थी। इस दौरान विपक्षीया खुशी के घरवालो का प्रार्थी के घर मे दिन प्रतिदिनि हस्तक्षेप बढता चला गया। विपक्षीया खुशी लगातार मोबाईल पर बाते करती रहती थी और विपक्षीया खुशी के घरवाले व दूर पार के रिश्तेदार कभी भी बिना बताये प्रार्थी के घर आ जाते थे। उसके बावजूद भी समय निकाल कर प्रार्थी सभी का सम्मान

करता था। लेकिन विपक्षीया खुशी का व्यवहार दिन प्रतिदिन प्रार्थी व प्रार्थी की माता व बहन के प्रति खराब होता चला गया और वह अलग रहने की जिद करने लगी। प्रार्थी ने विपक्षीया खुशी को समझाया-बुझाया कि प्रार्थी के पिता का स्र्वगवास हो चुका है और माता के हाथ मे फैक्चर है प्रार्थी की बहन को भी स्लीप डिस्क की समस्या होने के कारण वह भी चलने-फिरने में असमर्थ है। प्रार्थी के अलावा घर मे उनकी देख-रेख करने वाला कोई अन्य नही है। इसलिए उन्हे इस दशा मे अलग-थलग नही छोडा जा सकता लेकिन विपक्षीया खुशी के व्यवहार मे कोई बदलाव किसी प्रकार का नही आया। दिनांक 11-06-2024 में डाक्टर विनिता मल्होत्रा के यहा विपक्षीया खुशी को एक पुत्र राम पैदा हुआ। उस दौरान भी प्रार्थी ने विपक्षीया खुशी का पुरा ख्याल रखा और दिनांक 28-08-2024 में विपक्षीया खुशी अपने भाई के साथ अपने मायके चली गयी वहां पर रहते हुए भी प्रार्थी ने खुशी व अपने पुत्र का पुरा ध्यान रखा और लगातार फोन पर बात-चीत करता रहा और विपक्षीया खुशी को लाने के लिए प्रयासरत रहा लेकिन विपक्षीया खुशी के घरवाले कुछ न कुछ बहाने-बाजी करते रहे। दिनांक 06-06-2025 मे प्रार्थी की माता, मामा सुशील व विनय आदि के साथ खुशी को लेने के लिए गये लेकिन विपक्षीया खुशी व उसके घरवालो ने खुशी के नाम मकान का बैनामा करने की शर्त पर भेजने के लिए कहा लेकिन काफी कहने-सुनने के पश्चात खुशी अलग रहने की शर्त पर प्रार्थी के यहां आयी। जिस पर प्रार्थी की माता व बहन भूतल पर रहने लगे उससे पूर्व प्रार्थी की बहन दिनांक 15-07-2024 से अलग प्रथम तल पर रह रही थी लेकिन खुशी के व्यवहार मे कोई बदलाव किसी प्रकार का नही आया और लगातार प्रार्थी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती रही और प्रार्थी की माता व बहन को गन्दी गन्दी गांलिया देती और उल्टी-सीधी बाते करती और झूठी शिकायत कर पुलिस को बुला लेती लेकिन प्रार्थी अपने बच्चे के भविष्य व गृहस्थी को देखते हुए सब कुछ सहन करता रहा और खुशी को समझाता-बुझाता रहा लेकिन खुशी बार-बार यह बात दोहराती की यह रिश्ता नही चलेगा जब तक तेरी माता मकान का बैनामा मेरे नाम नही करेगी। दिनांक 02-08-2025 मे दोपहर करीब 1:50 पी०एम० पर विपक्षीया खुशी के माता-पिता अरविन्द व बबीता व भाभी सोनिया व उसके पापा की मामी कामन विपक्षीगण उपरोक्त आये और प्रार्थी के घर मे रखी प्रार्थी की दो सोने की अंगूठी, कडा, चैन, दो लाख रूपये नकद व प्रार्थी की माता के करीब 10 तोले के सोने के जेवरात जो प्रार्थी की माता ने प्रार्थी को बतौर अमानत दे रखे थे, सेफ से चोरी से निकाल लिये और एक लाल रंग के बैग में कीमती कपडे व जेवरात आदि भरकर अपने साथ ले गये और सभी थौडी देर बाद वापस आये और आते ही प्रार्थी को उल्टी-सीधी बाते कहना शुरू कर दिया। प्रार्थी व प्रार्थी की माता ने समझाने-बुझाने की बात की तो विपक्षीया खुशी तैश में आ गयी और प्रार्थी को गन्दी गन्दी गांलिया देते हुए पहले घर मे फिर बाहर मारपीट करना शुरू कर दिया। विपक्षीया खुशी ने प्रार्थी का गला पकडा और विपक्षीगण खुशी व अरविन्द ने प्रार्थी को जान से मारने की नीयत से डन्डे से मारपीट करना शुरू कर दिया और प्रार्थी के बच्चे को प्रार्थी से जबरदस्ती छीनकर कार मे बन्द कर दिया। प्रार्थी ने अपने बच्चे को कार से निकालने का प्रयास किया तो विपक्षीगण ने प्रार्थी को बुरी तरह मारपीट करना शुरू कर दिया प्रार्थी की माता ने बचाने का प्रयास किया तो उसको भी विपक्षीगण उपरोक्त ने मारपीट किया। प्रार्थी के पडोसियो ने पूरी घटना देखी और बीच-बचाव कराया। मारपीट में प्रार्थी को गुम चोटे व प्रार्थी की माता को काफी चोटे आयी। प्रार्थी की माता का सक्षम हॉस्पिटल मे डा० दलजीत के यहां ईलाज चला। प्रार्थी की माता के कंधे मे फैक्चर पाया गया लेकिन प्रार्थी व प्रार्थी के घरवालो ने गृहस्थी व बच्चे के भविष्य को देखते हुए ना तो प्रार्थी ने अपने सिर आदि में आयी चोटो का और ना ही अपनी माता का सरकारी अस्पताल मे मैडिकल कराया और ना ही कोई कार्यवाही की। लेकिन इसी दौरान प्रार्थी की पत्नी ने 112 नम्बर पुलिस को कॉल कर बुला लिया। पुलिस ने तहकीकात की तो विपक्षीगण की गलती को देखते हुए रामनगर पुलिस चौकी से आयी पुलिस विपक्षीगण को अपने साथ ले गयी। उसके बावजूद भी प्रार्थी व प्रार्थी के घरवाले लगातार विपक्षीगण उपरोक्त को समझाते-बुझाते रहे लेकिन उनके व्यवहार मे कोई बदलाव किसी प्रकार का नही आया और ना ही प्रार्थी के जेवरात व रूपये लौटाये और लगातार बहाने-बाजी व वायदे करते रहे और लगातार विपक्षीया खुशी को बच्चे सहित वापस आने और बतौर पत्नी अपने कर्तव्यो का निर्वहन करने के लिए कहते रहे लेकिन विपक्षीया खुशी ने उल्टे दिनांक 21-04-2026 मे झूठे तथ्यो के आधार पर एस०पी० यमुनानगर (हरियाणा) के यहां प्रार्थी के विरूद्ध तहरीर दे दी। उसके पश्चात से लगातार विपक्षीगण उपरोक्त प्रार्थी व उसकी माता व बहन को झूठे मुकदमो

मेफंसाने की धमकी दे रहे है। अतः विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराये जाने के आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

5. थाने से आख्या तलब की गयी। थाने की आख्यानुसार सम्बन्धित थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

6. प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथपत्र व एस.एस.पी. सहारनपुर को दिया गया प्रार्थना पत्र व एक किता फोटो प्रतिलिपि मेडिकल प्रपत्र दिनांक 02.08.2025, दो किता एक्स रे रिपोर्ट दिनांकित 02.08.2026 चुटैल उषा तोमर(प्रार्थी की माता) दाखिल किया गया है।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामला पारिवारिक एवं वैवाहिक संबंधों में विवाद से संबंधित है। प्रार्थी को वाद से संबंधित समस्त तथ्यों की जानकारी है तथा वह न्यायालय के समक्ष प्रार्थना में किये गये कथनों के संबंध में अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर मामला साबित कर सकता है। प्रार्थना पत्र में किये गये कथनो के आधार पर प्रथम दृष्टया ऐसा कोई मामला प्रतीत नहीं होता है, जिसके लिये थाने से विवेचना कराया जाना आवश्यक हो। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रामबाबू गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (43) ए.सी.सी. पेज 50 एवं सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008 क्रिमिनल लॉ जरनल पेज 472** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के आलोक में इस न्यायालय के अभिमत में प्रस्तुत मामले को परिवाद के रूप में दर्ज कर न्यायालय द्वारा स्वयं मामले की जांच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में परिवर्तित किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी **उदित तौमर** की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता परिवाद के रूप में पंजीकृत हो तथा पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अंतर्गत धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हेतु दिनाँक 28.08.2026 को प्रस्तुत हो।

(प्रज्ञवल अग्रवाल)
सिविल जज (जू0 डि0), एफ 0 टी0 सी0,
(महिलाओं के विरूद्ध अपराध),
सहारनपुर।
(J.O Code-UP4625)

Digitally signed by Prajjawal Agrawal
Date: 2026.08.13 17:02:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court